न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 01 / 2018

सरकार जरिये विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

प्रार्थी,

वनाम

राजेश साहू पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल साहू, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स राजेश तेल घाणी, गोदाम का स्थान नारायण मार्केट कॉलोनी, भगवानपुरा, निमोडिया चौराहे के पास, बाईपास, एन एच–12, चाकसू, जयपुर।
रजिस्टर्ड पता–वार्ड नं. 11, तैलियों का मौहल्ला, चाकसू, जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 58 सपठित धारा 49 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 बाबत् कोड व क्रमांकः ईई-1357)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार।
2. श्री गिर्राज प्रसाद, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.06.2019

प्रार्थी श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 13.10.2017 को सायं 04:00 बजे मैसर्स राजेश तेल घाणी गोदाम का स्थान नारायण मार्केट कॉलोनी, भगवानपुरा, निमोडिया चौराहे के पास, बाईपास, एन एच–12, चाकसू, जयपुर पर पहुंचा जहां पर राजेश साहू पुत्र स्व0 श्री भौरी लाल साहू उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को मैसर्स राजेश तेल घाणी का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। निरीक्षण करने के दौरान मस्टर्ड ऑयल 280 टिन पैक(भरती प्रत्येक 15 किलोग्राम), लोहे की टंकी में रखा 400 किलोग्राम, 07 ड्रम प्रत्येक 170 किलोग्राम एवं दोनो टेंकरों में मिलाकर 5000 किलोग्राम आम जन्ता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, के अमानक का शक होने पर लोहे की टंकी में रखे 400 किलोग्राम सरसों का तेल में से टंकी की टूंटी द्वारा स्टील भगौनी में 1600 ग्राम मस्टर्ड ऑयल खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक श्री राजेश साहू को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया। क्रय किये गए ऑयल की कीमत रू. 126/– (अक्षरे रूपयें एक सौ छब्बीस रूपयें मात्र) मौके पर विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता

Scanned by CamScanner

एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 1600 ग्राम मस्टर्ड ऑयल को 4 साफ, सूखी व खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर चारों बोतल पर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया गया तथा प्रत्येक बोतल पर लेबल चिपकायें गए एवं लेबलों पर स्टेट डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ईई-1357 दर्ज किये गये। जांच हेतु क्रय किये गये मस्टर्ड ऑयल को जांच कराये जाने पर नमूना मस्टर्ड ऑयल को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2484/एक्ट/2017/2556 दिनांक 15.11.2017 के अनुसार नमूना जांच को सब–स्टेन्डर्ड फूड होना पाया गया इसकी कारोबारी–विक्रेता द्वारा अपील नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मस्टर्ड ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, अप्रार्थी को धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक हाजिर आये ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वा.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 26.07.2011 के द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है, अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 18.08.2011 द्वारा कार्यालय के अधीन क्षेत्र तथा आदेश क्रमांक एच /पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा कार्यक्षेत्र आंवटित किया गया है। प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आंवटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 13.10.2017 को सायं 04:00 बजे मैसर्स राजेश तेल घाणी गोदाम का स्थान नारायण मार्केट कॉलोनी, भगवानपुरा, निमोडिया चौराहे के पास, बाईपास, एन एच–12, चाकसू, जयपुर पर पहुंचा जहां पर राजेश साहू पुत्र स्व0 श्री भौरी लाल साहू उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को मैसर्स राजेश तेल घाणी का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। निरीक्षण करने के दौरान मस्टर्ड ऑयल 280 टिन पैक(भरती प्रत्येक 15 किलोग्राम), लोहे की टंकी में रखा 400 किलोग्राम, 07 ड्रम प्रत्येक 170 किलोग्राम एवं दोनो टेंकरों में मिलाकर 5000 किलोग्राम आम जन्ता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, के अमानक का शक होने पर लोहे की टंकी में रखे 400 किलोग्राम सरसों का तेल में से टंकी की टूंटी द्वारा स्टील भगौनी में 1600 ग्राम मस्टर्ड ऑयल खाद्य कारोबार कर्ता एवं मालिक श्री राजेश साहू को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया। क्रय किये गए ऑयल की कीमत रू. 126/– (अक्षरे रूपयें एक सौ छब्बीस रूपयें मात्र) मौके पर विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। मौके पर ही अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 1600 ग्राम मस्टर्ड ऑयल को 4 साफ, सूखी व खाली कांच की बोतलों में

Scanned by CamScanner

बराबर–बराबर डालकर चारों बोतल पर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया गया तथा प्रत्येक बोतल पर लेबल चिपकाये गए एवं लेबलों पर स्टेट डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ईई-1357 दर्ज किये गये और मौके पर प्रारूप 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मौके पर ही श्री राजेश साहू ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है जो प्रारूप 5ए एवं फर्द मौका पर दर्ज है। मौके पर ही प्रारूप 5ए की एक प्रति अप्रार्थी को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अप्रार्थी राजेश साहू अंकित है। प्राप्ति रसीद पर 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है, मौके पर ही अप्रार्थी एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। मौके पर इसकी एक प्रति अप्रार्थी को दी गई है, जिसके प्राप्ति हस्ताक्षर अप्रार्थी के मौजूद है। प्रार्थी ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। जांच हेतु क्रय किये गये मस्टर्ड ऑयल को जांच कराये जाने पर नमूना मस्टर्ड ऑयल को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2484/एक्ट/2017/2556 दिनांक 15.11.2017 के अनुसार नमूना जांच को सब– स्टेन्डर्ड फूड होना पाया गया इसकी कारोबारी–विक्रेता द्वारा अपील नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मस्टर्ड ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, अप्रार्थी को धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री गिर्राज प्रसाद का कथन है कि पूरा प्रकरण कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का सब–स्टेण्डर्ड मस्टर्ड ऑयल न तो बेचा गया है, और न ही अप्रार्थी द्वारा बेचा जाता है। श्री राजेश साहू से 1600 ग्राम सरसों तेल प्राप्त कर रूपये 126/–विक्रय राशि प्राप्त किये जाने का कथन किया गया है मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। खाली कागजों पर प्रार्थी द्वारा मौके पर हस्ताक्षर यह कह कर कराये गये थे कि निरीक्षण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जानी हैं, जिसमें केवल मौके पर दुकान पर होने के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी द्वारा बाद में बदनियति से समस्त कार्यवाही की जाकर झूठे तथ्यों के आधार पर स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर से अप्रार्थी द्वारा 1600 ग्राम विक्रय करना बताते हुऐ सब–स्टेन्डर्ड की रिपोर्ट प्राप्त कर ली। अप्रार्थी को इस तथ्य की कतई जानकारी नहीं दी गई कि जांच रिपोर्ट कब और कहां से प्राप्त की गई है यदि प्रार्थी को इस संबंध में सूचना दी जाती तो निश्चित रूप से गलत रूप से प्राप्त की गई जांच रिपोर्ट की अप्रार्थी अपील कर न्याय प्राप्त करता। तथाकथित विक्रय किये गये मस्टर्ड ऑयल के सम्बन्ध में नियमों में निर्धारित मानक के अनुसार रिपोर्ट में अंकित हैं, किसी प्रकार की मिलावट की न तो कोई शिकायत हैं, और न ही विक्रय किये गये नमूने में कोई मिलावट पाई गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (2) (iii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006) निरस्त फरमाया जावें।

Scanned by CamScanner

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 26.07.2011 की प्रति ।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ.एस.एस.ए./नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 18.08.2011 की प्रति जिसके द्वारा कार्यालय के अधीन क्षेत्र का निर्धारण किया गया है।
3. आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति जिसके द्वारा कार्यक्षेत्र आंवटित किया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.10.2017 को नमूने के लिऐ क्रय किये 1600 ग्राम मस्टर्ड ऑयल के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 13.10.2017 को दिये गऐ केश–मीमों दि0 13.10.2017 की प्रति जिस पर स्वयं विक्रेता के हस्ताक्षर है।
5. नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गऐ प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता राजेश साहू के हस्ताक्षर है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता राजेश साहू के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्रारूप 6 की प्रति एवं प्रारूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
8. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब–स्टेन्डर्ड होना अंकित है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के कथन का खण्डन तो किया गया है किन्तु अपने कथन को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे है। जॉच हेतु लिये गऐ नमूने की खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2017 में नमूने को सब–स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ होना पाया है, इस रिपोर्ट दिनांक 15.11.2017 पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि मौके पर विक्रय हेतु पाये गये लौहे की टंकी में रखे 400 किलोग्राम सरसों का तेल में से विक्रय किया गया 1600 ग्राम सरसों तेल जो विक्रय किया गया है वह सब–स्टेण्डर्ड है और अप्रार्थी राजेश साहू ने सब–स्टेण्डर्ड मस्टर्ड ऑयल का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है । पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य

Scanned by CamScanner

नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड ऑयल का बार–बार विक्रय किया गया है अथवा पूर्व में विक्रय किया गया हो और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पूर्व में शास्ति से दण्डित किया गया हो। अतः विचारण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम अप्रार्थी के कृत्य के लिए राशि रूपये 10,000/–(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner